संख्या– 64 /2023/15/IX-2/2023

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयाँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड परिवहन निगम,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2021 हेतु उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में किराये में शत–प्रतिशत की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 23.02.2023 से दिनांक 26.02.2023 तक आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा–2021 हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रदेश के अन्दर एवं बाहर (परीक्षार्थी के गृह स्थान से परीक्षा स्थान तक) उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में आवागमन हेतु निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त सुविधा के फलस्वरूप आने वाले व्ययभार की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जायेगी।

कृपया तद्नुसार तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
सचिव।

संख्याः 64 /2023/15/IX-2/2023 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।